दिनांक 02.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 02/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

डा0 भीमराव आम्बेडकर पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में आयोजित 90वें बैच के 74 पुलिस उपाधीक्षकों का दीक्षान्त परेड समारोह सम्पन्न

आज दिनांक सितम्बर 02, 2024 (सोमवार) को डॉ० भीमराव आम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में पुलिस उपाधीक्षक (परि०) 90वाँ आधारभूत प्रशिक्षण सत्र–2023–24 के 74 प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों के बारह माह, पन्द्रह दिन के कठिन प्रशिक्षण की समाप्ति पर, **"दीक्षान्त परेड"** का आयोजन अकादमी परेड ग्राउण्ड पर किया गया। **"दीक्षान्त परेड"** का मान–प्रणाम **माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा ग्रहण किया गया।

इस अवसर पर **मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी** द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया कि पुलिस उपाधीक्षक का पद पुलिस बल का एक महत्वपूर्ण पद है। पुलिस उपाधीक्षक पद के सभी 74 प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा डॉ० भीमराव आम्बेडकर उ०प्र०पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में बारह माह, पन्द्रह दिवस का कठोर प्रशिक्षण प्राप्त कर, पास आउट हो रह हैं। पास आउट होने वाले 74 अधिकारियों में 18 महिला अधिकारी एवं 56 पुरुष अधिकारी हैं। प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को अन्तःकक्षीय प्रशिक्षण के अर्न्तगत कानून व्यवस्था, विधि, मानवाधिकारों, साइबर अपराधों, पुलिस रेगुलेशन, विधि विज्ञान, भाषा ज्ञान इत्यादि से जुड़े हुए विभिन्न विषयों का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक अध्ययन कराया गया है ताकि पुलिस बल की कार्यप्रणाली तथा निरन्तर बढ रहीं चुनौतियों को सफलतापूर्वक सुलझाने की समझ व ज्ञान विकसित हो सके। साथ ही कहा गया कि कानून–व्यवस्था हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसे उच्चकोटि का बनाये रखना हमारा लक्ष्य है। 01 जुलाई, 2024 से तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो चुके हैं। इसके दृष्टिगत समस्त प्रशिक्षु अधिकारियों को इन तीनों कानूनों का गहन

प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है जिससे आम जनता को उच्चकोटि का न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। तीन नये कानूनो की मूल भावना दण्ड पर आधारित न होकर न्याय प्रधान होना है दक्ष, न्यायप्रिय, पारदर्शी, जबावदेह व निष्ठा के साथ जनसेवा के प्रति संवेदनशील पुलिस बल की स्थापना में यह आधारभूत प्रशिक्षण बेहद कारगर सिद्ध होगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस बल में पुलिस उपाधीक्षक पद की गरिमा को बताते हुए कहा गया कि आप पुलिस बल में एक जिम्मेदार पद पर नियुक्त हो रहे हैं, जहाँ अपराध नियंत्रण के साथ–साथ कानून व्यवस्था को बनाये रखना और पीड़ित व्यक्ति को न्याय प्राप्त कराने में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना है। किसी भी प्रदेश में सुशासन की नींव अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था की स्थापना से मजबूत होती है और यह तथी संभव हो सकता है, जब प्रदेश में उत्तरदायी पुलिसिंग व्यवस्था और व्यवसायिक रुप से दक्ष एवं संवेदनशील पुलिस बल हो। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने दायित्वों का हमेशा भलीभाँति निर्वहन किया है। दीक्षांत समारोह के पश्चात् आप भी दुनियां के सबसे बड़े गौरवशाली पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मैं आपको, आपके माता–पिता, सहयोगियों, अकादमी के प्रशिक्षकों को सफल प्रशिक्षण हेतु ह्रदय से मंगल शुभकामनाएँ देता हूँ।

तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों में से सर्वांग सर्वोत्तम का पुरस्कार प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक श्री प्रखर पाण्डेय, अन्तःकक्षीय विषयों में सर्वोत्तम का पुरस्कार प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक सुश्री आकांक्षा पाण्डेय तथा बाह्य विषयों में सर्वोत्तम का पुरस्कार प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक श्री उदित नारायण पालीवाल को प्रदान किया।

माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 द्वारा दीक्षान्त परेड समारोह के सफल आयोजन हेतु पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उ०प्र०, अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक उ०प्र० पुलिस अकादमी मुरादाबाद एवं परेड में सम्मिलित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सराहना करते हुए बधाई दी गयी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अपने उदबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से अमूल्य क्षण निकालकर प्रशिक्षुओं को जनसेवा, शांति एवं सुरक्षा की स्थापना हेतु जो आशीर्वचन दिए हैं उससे उन्हें सदैव मार्गदर्शन प्राप्त होते रहेंगे। इस संस्था में सभी प्रशिक्षुओं ने अपने कार्य, आचरण, परिश्रम और गरिमा पूर्ण तरीके से जिस प्रकार अपना प्रशिक्षण पूरा किया है भविष्य में इसी गरिमा को बनाए रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। पुलिस विभाग के जिम्मेदार सदस्य के रूप में अपराध मुक्त समाज की स्थापना तथा अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति में अपना योगदान देंगे। आपके कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा बहुत ही पारदर्शी और शुचिता पूर्ण तरीके से करायी गयी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराध एवं अपराधियों के प्रति कार्य करने का जो मॉडल है उसी तरीके से भर्ती का भी एक मॉडल आपने पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया है। प्रशिक्षण के उच्च मानक को धारण करते हुए व्यक्ति के चहुँमुखी विकास के रूप में जो प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों ने दी है उसके लिए मै अकादमी के निदेशक को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा उपस्थित सभी अधिकारी गण, सम्मानित अतिथि गण और मीडिया बंधुओं की गरिमा मयी उपस्थिति हेतु हृदय से आभार व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण कार्य में संलग्न सभी इनडोर तथा आउटडोर प्रशिक्षकों की भी प्रशंसा की गयी।

दीक्षान्त परेड समारोह के अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह उ०प्र०शासन, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय, अपर पुलिस महानिदेशक/निदेशक उ0प्र0 पुलिस अकादमी मुरादाबाद, अपर पुलिस महानिदेशक मुरादाबाद जोन मुरादाबाद सहित वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

अनुशासन द्वार

दिनांक 02.09.2024
प्रेस विज्ञप्ति 03/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना चांदीनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 02.09.2024 को थाना चांदीनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चमरावल से कहरका जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवैल के पास बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त गौतम घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुई, घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बागपत, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व उत्तराखण्ड के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना चांदीनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—गौतम निवासी खैला थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी

1–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

जनपद सीतापुर/थाना महमूदाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **28 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 01.09.2024 को थाना महमूदाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम भरहर मऊ पैतेंपुर पुल के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–विनोद 2–गया प्रसाद उर्फ टिल्लू घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 28 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई, घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विनोद के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त गया प्रसाद उर्फ टिल्लू के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 21 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना मछरेहटा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महमूदाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विनोद निवासी टाडा कला थाना लहरपुर जनपद सीतापुर।

2—गया प्रसाद उर्फ टिल्लू निवासी बगहाढाग दक्षिण पुरवा थाना बिसवां जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—28 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना पनकी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **सोने—चाँदी के आभूषण, नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.09.2024 को थाना पनकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनमोल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से सोने—चाँदी के आभूषण, नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई, घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना पनकी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना पनकी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनमोल निवासी डूडा कॉलोनी रतनपुर थाना पनकी कमिश्नरेट कानपुर नगर।

बरामदगी

1–सोने–चाँदी के आभूषण, नगद रूपये।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–1

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 कार**
- **03 हजार 450 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.09.2024 को थाना फेस–1 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–14ए गंदे नाले के पास से 03 अभियुक्तों 1–आसिफ 2–अकील 3–परवेज आलम उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 कार, 03 हजार 450 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–1 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आसिफ निवासी सी–668 गली नं0–30 थाना गाजीपुर दिल्ली।

2–अकील निवासी डी–ब्लाक नजीर नगर थाना मंडावली दिल्ली।

3–परवेज आलम उर्फ सोनू निवासी शरीफ नगर थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 03 कार।

2–03 हजार 450 रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद मेरठ/थाना टीपीनगर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने के आभूषण**
- **चोरी के 19 हजार 970 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 02.09.2024 को थाना टीपीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मलियाना फाटक एफसीआई गोदाम के पास से बदमाश की घेराबन्दी की गई तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अजय घायल को गया, जिसे गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के सोने के आभूषण, चोरी के 19 हजार 970 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.08.2024 को थाना टीपीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टीपीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी हैं, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना टीपीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अजय निवासी घास मंडी वाल्मीकी बस्ती थाना ज्वालापुर हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1—चोरी के सोने के आभूषण।

2—चोरी के 19 हजार 970 रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद कुशीनगर/थाना रविन्द्रनगर धूस

- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 लाख रूपये नगद**
- **225 पासपोर्ट,**
- **03 लैपटॉप, 01 मॉनीटर, 01 सीपीयू, 01 प्रिन्टर, 13 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, 20 फर्जी मोहर, चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि**
- **01 स्कार्पियों, 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.09.2024 को थाना रविन्द्रनगर धूस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौकरी का झांसा देककर कूटरचित दस्तावेज इलेक्ट्रानिक उपकरणों से एडिट कर फर्जी मुहरों की सहायता से पासपोर्ट बन्धक के रूप में रखकर धन अर्जित करने वाले 08 अभियुक्तों 1—मनोज कुमार उर्फ राहुल 2—पीताम्बर उर्फ अभिजीत 3—राजेश कुमार उर्फ संतोष 4—विकास कुमार उर्फ अमित कुमार 5—नितीश कुमार 6—संजय कुमार 7—मिथिलेश कुमार 8—विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 लाख रूपये नगद, 225 पासपोर्ट, 03 लैपटॉप, 01 मानीटर, 01 सीपीयू, 01 प्रिन्टर, 13 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, 20 फर्जी मोहर, चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि, 01 स्कार्पियों, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना रविन्द्रनगर धूस पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनोज कुमार उर्फ राहुल निवासी सिसई थाना गोरेयाकोठी जनपद सिवान बिहार।

2—पीताम्बर उर्फ अभिजीत निवासी कुमबरगांवा थाना नामकुम जनपद रांची झारखण्ड।

3—राजेश कुमार उर्फ संतोष निवासी खैराती थाना हुसैनगंज जनपद सिवान बिहार।

4—विकास कुमार उर्फ अमित कुमार निवासी बिश्वम्भरपुर थाना जामो बाजार जनपद सिवान बिहार।

5—नितीश कुमार निवासी बिश्वम्भरपुर थाना जामो बाजार जनपद सिवान बिहार।

6—संजय कुमार निवासी सिसई थाना गोरेयाकोठी जनपद सिवान बिहार।

7—मिथिलेश कुमार निवासी बिश्वम्भरपुर थाना जामो बाजार जनपद सिवान बिहार।

8—विनय कुमार निवासी खोड़ी पालड़ जद्दी थाना जामो बाजार जनपद सिवान बिहार।

बरामदगी

1—03 लाख रूपये नगद।

2—25 पासपोर्ट।

3—03 लैपटॉप, 01 मानीटर, 01 सीपीयू, 01 प्रिन्टर, 13 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड, 20 फर्जी मोहर, चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि।

4—01 स्कार्पियों, 01 मोटर साइकिल।

एएनटीएफ/ आपरेशनल यूनिट लखनऊ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 02 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 510 ग्राम अवैध स्मैक**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 01.09.2024 को एएनटीएफ आपरेशनल यूनिट लखनऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नेशनल ढाबा ढखेरवा रोड के पास से 02 अभियुक्तों 1—नगेन्द्र कुमार 2—निर्मल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 02 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 510 ग्राम अवैध स्मैक, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना निघासन जनपद खीरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नगेन्द्र कुमार निवासी तिकुनिया सुठाना बरसोला थाना तिकुनिया जनपद लखीमपुर।

2—निर्मल निवासी रन नगर थाना तिकुनिया जनपद लखीमपुर।

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ 02 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 510 ग्राम अवैध स्मैक।

2—नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन आदि।

- **जनपद सोनभद्र/थाना पन्नूगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना पन्नूगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376ए,बी/506 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नारसिंह को आजीवन कारावास व 01 लाख 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद मीरजापुर/थाना चुनार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना चुनार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कपिलदेव उर्फ पप्पू को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————